संख्या-378 /2015-3466/नौ-5-15-171बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 9 नवम्बर, 2015

विषय:: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में जनपद लखनऊ इन्दिरा नगर सूर्या इन्क्लेव डी-ब्लाक से बैंक ऑफ पटियाला (स्पेन्सर तिराहे तक) की सीवर लाइन डाले जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के पत्र संख्या-516/एलजेएस-80/ला0आ0, दिनांक 29.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ इन्दिरा नगर सूर्या इन्क्लेव डी-ब्लाक से बैंक ऑफ पटियाला (स्पेन्सर तिराहे तक) की सीवर लाइन डाले जाने हेतु निर्धारित लागत रू0 241.90 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी लखनऊ द्वारा नगर निगम लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

go finance mangal font

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्ष "2215- जल पूर्ति तथा सफाई 02-मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04 उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्ष "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02 जल-मल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-338/2015-3466(1)/नौ-5-15-171बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
9- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Shashinagar.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (निर्माण कार्य) पूंजी लेखा वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई 02-मल जल तथा सफाई-193-नगर निगमों /नगरपालिका परिषदों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04 उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	200000	10000	10000	10000	190000
योग	200000	10000	10000	10000	190000
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	150000	160000	10000	10000	160000
योग	150000	160000	10000	10000	160000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नगर पंचायत हेड में सीवरेज कार्यो के परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगर निगमो के माइनर हेड में पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्तांव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में वि.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-111 ई-8-2698/दस-2015, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता,(ल0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
7. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ ।
10. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।